Hindi

अपने स्वास्थ्य, कल्याण और वित्त के बारे में निर्णय लेना...

जब आप निर्णय नहीं ले सकते, तो कौन लेगा?

एक नया कानून है, जो मदद कर सकता है

क्या आपको कोई ऐसी बीमारी, चोट या अक्षमता है, जो आपको निर्णय लेने में कठिनाई दे सकती है?

क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की देखभाल करते है, उसके साथ काम करते है, उसे जानते है, जिसे निर्णय लेने में कठिनाई होती है?

क्या आप आगे की योजना बनाना चाहते है, यदि आप भविष्य के लिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अक्षम हो जाएँ?

एक नया कानून है, जो मदद कर सकता है।

मानसिक क्षमता अधिनियम 2005

हर रोज़ हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के बारे में निर्णय लेते है। निर्णय लेने की योग्यता को मानसिक क्षमता कहा जाता है। लोगों को कुछ निर्णय लेने में हमेशा या कभी–कभी कठिनाई हो सकती है। यह इसलिए हो सकता है, क्योंकि उनमें :

- सीखने की अक्षमता है
- मनोभ्रंश है
- मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है
- दिमागी चोट या आघात है

और हममें से हर कोई संभवतः आगे की योजना बना सकता है, यदि भविष्य में, किसी दुर्घटना आदि के कारण, हममें मानसिक क्षमता न रहे।

मानसिक क्षमता अधिनियम इंग्लयड और वेल्स में इन स्थितियों के लोगों को प्रभावित करेगा। यह उनके परिवारों, देखभालकर्ताओं, स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल कर्मचारियों, और उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोगों को भी प्रभावित करेगा। यदि व्यक्ति में क्षमता की कमी हो, तो यह सभी प्रकार के प्रमुख निर्णय समाहित करेगा, जैसे वित्तीय, सामाजिक देखभाल, इलाज और अनुसंधान व्यवस्थाएँ, और साथ ही रोज़मर्रा के निर्णय।

अधिनियम आम तौर से 16 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को ही प्रभावित करेगा।

अधिनियम अप्रैल 2007 से लागू किया जा रहा है। अप्रैल में स्वतंत्र मानसिक क्षमता अधिवक्ता (IMCA) प्रावधान (इंग्लयंड में) और नया आपराधिक दंड शुरू हो जाएगा। अक्तूबर में वेल्स में IMCAs और नई अदालत रक्षा, सार्वजनिक अभिभावक और सार्वजनिक अभिभावक कार्यालय सहित अधिनियम के तहत अन्य सभी प्रावधान शुरू हो जाएँगे।

सूचना-पत्र स्पष्ट करता है कि ये क्या है।

अधिनियम आपको कैसे प्रभावित कर सकता है

यदि आप कुछ निर्णय लेने में अक्षम है, तो अधिनियम स्पष्ट करता है:

- आपको खुद के निर्णय लेने के लिए यथासंभव मदद मिलनी चाहिए
- इस बारे में क्षमता का मूल्यांकन कैसे हो सकता है कि आप किसी विशेष समय में विशेष निर्णय लेने में सक्षम है या नहीं
- चाहे आपमें अपने लिए बहुत जटिल निर्णय लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप सीधे निर्णय भी नहीं ले सकते
- चाहे आपके लिए कोई और निर्णय लेता है, लेकिन इसमें आपको भी यथासंभव अवश्य शामिल किया जाना चाहिए
- आपके लिए निर्णय लेने वाले व्यक्ति को यह आपके सर्वोत्तम हित में करना चाहिए
- यदि आपमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता की कमी है और आप किसी से परामर्श नहीं कर सकते, तो एक नई सुरक्षा है, स्वतंत्र मानसिक क्षमता अधिवक्ता (IMCA), जो आपका प्रतिनिधित्व करेगा।

यदि आप भविष्य के लिए आगे की योजना बनाना चाहते हैं, तो अधिनियमः

- आपको सतत मुख़्तारनामा (LPA) बनाने की अनुमति देता है, जो आपको आपके वित्त और संपत्ति या आपकी स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के बारे में निर्णय लेने के लिए किसी को नियुक्त करने में सक्षम करता है, यदि आपमें कभी ये निर्णय खुद लेने की क्षमता में कमी हो जाए
- आपको ''इलाज से मना करने का अग्रिम निर्णय'' लेने में सक्षम करता है, यदि कोई ऐसा विशेष इलाज है, जिसे आप भविष्य में किसी समय नहीं लेना चाहते, जब आपमें उससे इनकार करने की क्षमता की कमी हो।

यदि आप एक परिवार या अन्य अवैतनिक देखभालकर्ता हैं, तो अधिनियमः

- आपको यह समझने में मदद करेगा कि आप कैसे और कब किसी की ओर से कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें निर्णय लेने में क्षमता में कमी हो – और यदि आप यह करते हैं, तो उसकी सुरक्षा और सीमाएँ क्या हैं
- बताता है कि विशेषज्ञों को आपसे परामर्श करना चाहिए, उदाहरण के लिए, कोई डॉक्टर जो परिवार के ऐसे सदस्य के इलाज के बारे में निर्णय लेता है, जिसमें क्षमता की कमी है

यदि आप स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में काम करते हैं, तो अधिनियमः

- किसी व्यक्ति की मानसिक क्षमता के मूल्यांकन और उसके सर्वोत्तम हित के निर्धारण के लिए ढाँचा प्रदान करता है, यदि उसमें निर्णय लेने की क्षमता में कमी है
- सुरक्षा और सीमाएँ देता है, जब आप किसी देखभाल या इलाज प्राप्त करने के बारे में सहमति देने की क्षमता में कमी वाले व्यक्ति के साथ काम करते हैं

यदि आप कानूनी, ब्योकग या परामर्श क्षेत्रों में काम करते हैं, तो अधिनियमः

- क्षमता में कमी वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य और कल्याण के मामलों, और वित्तीय मामलों पर कार्रवाई करने के लिए मानसिक क्षमता के मामलों को सुलझाने के लिए एकल, सुसंगत ढाँचा, और विवाद सुलझाने के लिए सुधरी हुई प्रणाली बनाता है।

अधिनियम महत्वपूर्ण सुरक्षा तैयार करता हैः

- एक नया सुरक्षा न्यायालय, जिसके पास यह घोषणा करने का अधिकार होगा कि किसी में क्षमता की कमी है या नहीं, और क्षमता में कमी वाले किसी व्यक्ति के लिए आदेश करना या सहायक नियुक्त करना, जो उसकी ओर से निर्णय ले सके। अनेक मामलों में, कठिन स्थितियों को सुलझाने के लिए न्यायालय में जाए बिना कुछ अन्य तरीके होंगे, जैसे मौजूदा शिकायत प्रक्रियाओं के द्वारा
- जन–अभिभावक नामक एक नया सरकारी अधिकारी, जिसके अधिनियम के अंतर्गत अनेक कर्तव्य होंगे, जिनमें LPA पंजीकृत करना, न्यायालय द्वारा नियुक्त सहायकों का निरीक्षण शामिल है। जन–अभिभावक को इन कामों को करने वाले नए जन–अभिभावक कार्यालय (OPG) से मदद मिलेगी, जो मौजूदा जन–अभिभावकत्व कार्यालय (PGO) का स्थान लेगा।
- क्षमता में कमी वाले व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार या जानबूझकर नज़र–अंदाज करने का एक नया फौजदारी का अपराध।

व्यवहार संहिता अप्रैल 2007 से उपलब्ध होगी, स्पष्ट करेगी कि नया कानून कैसे काम करेगा। अधिनियम कहता है कि अन्य लोगों के अलावा, पेशेवरों और वेतन–भोगी देखभालकर्ताओं को संहिता का सम्मान अवश्य करना चाहिए।

अधिनियम मौजूदा व्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करेगा?

यदि आप क्षमता में कमी वाले व्यक्ति के लिए प्रबन्धकर्ता हैं:

- नया अधिनियम आने के बाद आपके अधिकार बने रहेंगे, लेकिन आपको नए सुरक्षा न्यायालय द्वारा सहायक माना जाएगा। जन–अभिभावक कार्यालय सभी मौजूदा प्रबन्धकर्ताओं से संपर्क करेगा, जिससे कि आवश्यक प्रशासन व्यवस्थाएँ की जा सकें। आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है।

यदि आपने सतत मुख़्तारनामा (EPA) तैयार किया है या EPA के अंतर्गत किसी और की तरफ़ से काम कर रहे हैं, तो:

- यह नया अधिनियम आने के बाद भी मान्य होगा, चाहे वह अभी तक पंजीकृत न हुआ हो, जब तक कि EPA तैयार करने वाला व्यक्ति इसे नष्ट करने का निर्णय नहीं लेता और इसे LPA से नहीं बदलता।

> अधिनियम शुरू होने से पहले
>
> तथापि ये बदलाव आपको क्षमता में कमी वाले व्यक्ति के लिए अभी भविष्य की योजना बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने या उसके वित्तीय मामलों की व्यवस्था करने से नहीं रोकते।
>
> अधिक जानकारी के लिए जन–अभिभावक कार्यालय से यहाँ संपर्क करें:
>
> ई–मेल: custserv@guardianship.gsi.gov.uk
>
> टेलीफ़ोन: 0845 330 2900
>
> या यहाँ वेबसाइट पर जाएँ: www.guardianship.gov.uk

नए अधिनियम के बारे में और जानकारी

हम अधिनियम से प्रभावित होने वाले निम्नलिखित लोगों के समूहों के लिए विस्तृत सूचना पुस्तिकाएँ (निःशुल्क) तैयार कर रहे हैं:

1. वे लोग जिनमें क्षमता में कमी है या जो भविष्य के लिए आगे की योजना बनाना चाहते हैं
2. परिवार और अन्य अवैतनिक देखभालकर्ता
3. स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल में काम करने वाले कर्मचारी
4. परामर्श कार्यकर्ता
5. सीखने की अक्षमता वाले लोग

यदि आप ये पुस्तिकाएँ (या सूचना-पत्र की और प्रतियाँ) प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया प्रकाशन के लिए यहाँ संपर्क करें:

ई–मेल: reorder@inprintlitho.com

टेली: 023 80 878038 या 023 80 878036

फैक्स: 023 80 528324

यह सूचना-पत्र अनुरोध पर अन्य भाषाओं और वैकल्पिक प्रारूपों में उपलब्ध है।

संपर्क और सूचना का विवरण

डाक:	Mental Capacity Implementation Programme Department for Constitutional Affairs 5th floor, Steel House 11 Tothill Street London SW1H 9LH
ई–मेल:	makingdecisions@dca.gsi.gov.uk
वेबसाइट:	www.dca.gov.uk/legal-policy/mental-capacity

नए मानसिक क्षमता अधिनियम पर सूचना आपके लिए निम्नलिखित संगठन लेकर आए हैं:

Department of Health

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Welsh Assembly Government

public guardianship office

Department for Constitutional Affairs
Justice, rights and democracy

© Crown Copyright 2007

ref MCIP2